ऑफर!!!ऑफर!!!ऑफर!!!

जयपुर मे किसी भी विवादित जमीन या सरकारी जमीन का किरायानामा दिखाओ और पूरे साल आबकारी विभाग से शराब बेचने का लाईसेंस पाओ!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर द्वारा भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मी नारायणपुरी,दिल्ली बाईपास पर लाईसेंसी प्रतीक चौधरी को स्वीकृत की गई कम्पोजिट शराब की दुकान का मामला!!

आवासीय भूखंड संख्या बी-213,लक्ष्मीनारायणपुरी के मालिकाना हक को लेकर दो विवाद चल रहे स्थानीय न्यायालयों मे!!

न्यायालयों मे प्रस्तुत वादों के अनुसार जमीन पर तीन पार्टिया जता रही अपना हक!!

मौके पर यथास्थिति के आदेश!!लेकिन इसके बावजूद स्टेशुदा जमीन पर एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए,स्वीकृत कर दी गई शराब की दुकान!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/palm/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 6 मई 2023

दुकान स्वीकृत करने से पहले ही पूरा मामला स्थानीय आबकारी निरीक्षक से लेकर जिला आबकारी अधिकारी के संज्ञान मे!!

लेकिन इसके बावजूद राजस्व हित की आड़ लेकर स्वीकृत की गई विवादित भूखंड पर शराब की दुकान!

एक शराब ठेकेदार विशेष पर जिला आबकारी विभाग की विशेष कृपा के चलते,खेला गया यह खेल!!

मुख्यमंत्री के आदेशों की खुद आबकारी विभाग ही उड़ा रहा धज्जियां!! खुद मुख्यमंत्री महोदय विवादित जमीनो और भूमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रति गंभीर!!

लेकिन इसके बावजूद हर साल दर्जनों विवादित जमीनो पर आबकारी विभाग राजस्व का वास्ता देकर लगा रहा शराब की दुकाने!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

मुख्यमंत्री के आदेशों की आबकारी विभाग ही उड़ा रहा धज्जियां!!खुद मुख्यमंत्री महोदय विवादित जमीनो और भूमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रति गंभीर!!लेकिन इसके बावजूद हर साल सैंकड़ों विवादित जमीनो पर आबकारी विभाग राजस्व का वास्ता देकर लगा रहा शराब की दुकाने!!

-माफियों की जांच के लिए गृह सचिव के नेतृत्व में गठित होगी

मुख्यमंत्री बोले... राजस्थान में जमीन पर कब्जे, फर्जी पट्टे और एक प्लॉट के क
पट्टे जारी कर लोगों की रकम हड़पी जा रही, जयपुर इसमें सिरमौर

रात 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिली तो थानेदार पर होगी कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . मुख्यमंत्री
ने रात 8 बजे शराब
के आदेश के बावज
इनके खुले रहने पर
पुलिस मुख्यालय में
अपराध समीक्षा बैठ
मीडिया से उन्होंने कहा
अभाव में धीरे-धीरे यह
हो गया। लेकिन अब इ
से पालना की जाएगी। कि
में रात 8 बजे शराब दु
मिली तो संबंधित था
खिलाफ कार्रवाई होगी। दु
8 बजे बंद हो जाए, इसकी
के बाद वृत्ताधिकारी और फिर
अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी
उन्होंने कहा कि राजस्थ
जमीनों पर कब्जा करने, फर्ज
और एक प्लॉट के कई पट्टे जारी
लोगों की रकम हड़पी जा रही
जयपुर तो ऐसे मामलों में सिरमौर

50K cases are related to disputed lands, plots in Jpr alone: Gehlot

From Page 1

Action will also be taken against employees having links with criminals even if senior police officers are involved.He said that the SPs have to crack down on gravel mafia and the government is strict on matters of disputed land. "Nowadays the land mafia is active, they sell the same land at many places. In Jaipur alone, 50,000 cases are related to disputed lands and plots." he said.

CM INSPECTS HI-TECH INTERCEPTORS

CM Ashok Gehlot inspected the interceptors being made available for the traffic police before the review meeting held at the Police Headquarters on Thursday. Additional Director General of Police VK Singh said that these 25 interceptors are equipped with modern 2022 digital GPS, WiFi, internet technology. It has Speed Laser Gun, which can measure the speed of vehicles from a kilometre's distance. It also has a high quality HD Camera.

आपके आस-पास कोई

गत वर्ष दिसंबर माह मे पुलिस मुख्यालय मे हुई अपराध समीक्षा बैठक मे मुख्यमंत्री द्वारा रात 8 बजे शराब बंद करने के आदेश के बावजूद कई जगह इनके खुले रहने पर चिंता जताई गई थी|इसी के साथ राज्य मे जमीनो पर कब्जा करने,फर्जी पट्टे,एक प्लॉट के कई पट्टे जारी करने आदि मामलों और विवादित/सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओ के बढ़ते प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता मे कमिटी बनाने का एलान किया था|ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए उनके द्वारा बताया गया था कि जयपुर विवादित मामलों मे सिरमोर है,उनके अनुसार जयपुर मे ही जमीन विवादों से संबंधित 50 हजार शिकायते लंबित है|इसी के साथ उनके द्वारा अपराधियों से साँठ-गांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी आगाह करते हुए बताया गया था कि ऐसे मामलों मे सरकारी अधिकारियों की लिप्तता पाए जाने पर उन्हे तुरंत गिरफ्तार या बर्खास्त किया जाएगा|

लेकिन लगता है मुख्यमंत्री के इन आदेशों की आबकारी विभाग के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है तभी तो हर साल राज्य मे लाईसेंसशुदा शराब की दुकानों की लोकेशन्स स्वीकृत करने के नाम पर आवासीय,कृषि जमीनो पर कई अवैध दुकाने खोल दी जाती है|इतना ही नहीं सैंकड़ों मामलों मे स्थानीय भूमाफियाओ द्वारा विवादित और सरकारी जमीनो पर भी कब्जे कर,आबकारी विभाग से शराब की दुकान चलाने का लाईसेंस हासिल करने का खेल खेला जा रहा है|

कैसे खेला जाता है विवादित और सरकारी जमीनो पर शराब की दुकान का लाईसेंस लेने का खेल?

आपको बता दें कि किसी भी जिले मे शराब की दुकान की लोकेशन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती है|एक ईमानदार आबकारी निरीक्षक द्वारा नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उन्हे किसी शराब की दुकान की लोकेशन की अनुशंसा करने के समय,दस्तावेजों के नाम पर मात्र लाईसेंसी के हक मे निष्पादित किरायेनामे की दरकार होती है, और मौके पर दुकान का कब्जा मकान मालिक/लाईसेंसी के पास होना चाहिए| इसके बाद भले ही वह जमीन आवासीय,कृषि हो या फिर विवादित अथवा सरकारी;आबकारी विभाग को इससे फर्क नहीं पड़ता|

इस पूरे खेल मे संबंधित दुकान मालिक या शराब ठेकेदार द्वारा स्थानीय आबकारी निरीक्षक से लेकर जिले मे बैठे आला अधिकारियों की जेबें गरम की जाती है|कई मामलों मे यदि कोई विरोध आता है तो अपने आला अधिकारियों को राजस्व हित का वास्ता देकर राजी कर लिया जाता है|इस खेल मे जहां एक और शराब ठेकेदार पूरे साल चांदी कुटता नजर आता है,वहीं दूसरी तरफ उक्त विवादित या सरकारी जमीन पर सरकारी ठेका चलाने का ठप्पा लग जाता है,जिससे उस जमीन से संबंधित सभी विवादों पर विराम लग जाता है|

क्या है आबकारी विभाग,जयपुर शहर द्वारा विवादित भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मी नारायणपुरी,दिल्ली बाईपास पर लाईसेंसी प्रतीक चौधरी को स्वीकृत की गई कम्पोजिट शराब की दुकान का मामला!!

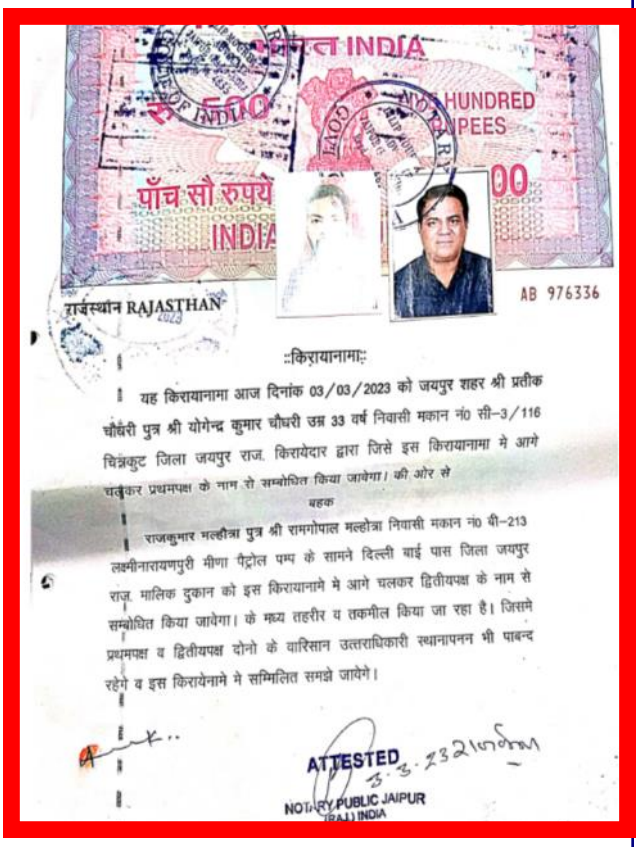

राजस्थान RAJASTHAN

AB 976336

::किरायानामा::

यह किरायानामा आज दिनांक 03/03/2023 को जयपुर शहर श्री प्रतीक चौधरी पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार चौधरी उम्र 33 वर्ष निवासी मकान नं0 सी–3/116 चित्रकुट जिला जयपुर राज. किरायेदार द्वारा जिसे इस किरायानामा मे आगे चलकर प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। की ओर से

बहक

राजकुमार मल्होत्रा पुत्र श्री रामगोपाल मल्होत्रा निवासी मकान नं0 बी–213 लक्ष्मीनारायणपुरी मीणा पैट्रोल पम्प के सामने दिल्ली बाई पास जिला जयपुर राज. मालिक दुकान को इस किरायानामे मे आगे चलकर द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। के मध्य तहरीर व तकमील किया जा रहा है। जिसमे प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष दोनो के वारिसान उत्तराधिकारी स्थानापनन भी पाबन्द रहेंगे व इस किरायेनामे मे सम्मिलित समझे जावेगे।

ATTESTED 3.3.23

NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) INDIA

आपको बता दें कि आबकारी जयपुर शहर पूर्व मे स्थित वार्ड संख्या 29,30,61,62,66,77 मे स्थित लाईसेंसी प्रतीक चौधरी द्वारा भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी स्थित दो दुकानों पर दिनांक 05/04/2023 से शराब की कम्पोजिट दुकान संचालित की जा रही है|तुषार चौधरी द्वारा इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत करवाने हेतु दिनांक 03/03/2023 को निष्पादित एक किरायानामा, जिसमे उक्त भूखंड बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी का मालिक राजकुमार मल्होत्रा का होना बताया गया,प्रस्तुत किया गया था,जिसके आधार पर संबंधित आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस दुकान को दिनांक 05/04/2023 को स्वीकृत की गई थी|यहाँ तक तो आपको सब ठीक लग रहा होगा,लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है|

इस भूखंड बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी पर शराब की दुकान लगने की खबर से कहानी मे एक नया मोड आ जाता है|दिनांक 27/03/2023 को संतोष कुमार सैनी निवासी गलता गेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर को प्रस्तुत किया जाता है,जिसमे बताया जाता है कि लाईसेंसी प्रतीक चौधरी द्वारा जिस संपत्ति का द्वितीय पक्ष से किरायानामा बताया गया है,वह विवादित हैऔर न्यायालय मे विचाराधीन है|इसी के साथ उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि उक्त संपत्ति पर न्यायालय द्वारा स्टे लगाया हुआ है और जिस संपत्ति को द्वितीय पक्ष अपना बता रहा है उस मकान की अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुई है|अपने प्रार्थना पत्र के साथ परिवादी द्वारा ADJ-6 मे विचाराधीन केस के दस्तावेज भी संलग्न किए जाते है|

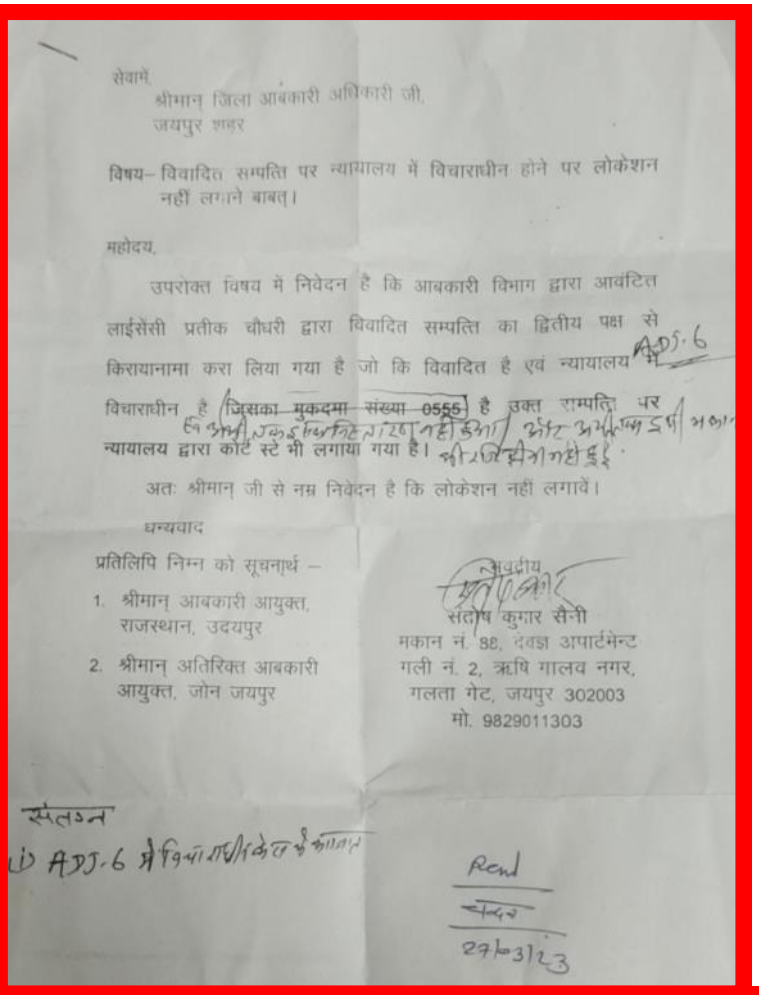

सेवामें,
श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी जी,
जयपुर शहर

विषय– विवादित सम्पति पर न्यायालय में विचाराधीन होने पर लोकेशन नहीं लगाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित लाईसेंसी प्रतीक चौधरी द्वारा विवादित सम्पत्ति का द्वितीय पक्ष से किरायानामा करा लिया गया है जो कि विवादित है एवं न्यायालय ADJ-6 में विचाराधीन है (जिसका मुकदमा संख्या 0555) है उक्त सम्पत्ति पर न्यायालय द्वारा कोर्ट स्टे भी लगाया गया है।

अतः श्रीमान् जी से नम्र निवेदन है कि लोकेशन नहीं लगावें।

धन्यवाद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –
1. श्रीमान् आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
2. श्रीमान् अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जयपुर

भवदीय
संतोष कुमार सैनी
मकान नं. 88, देवज्ञ अपार्टमेन्ट
गली नं. 2, ऋषि गालव नगर,
गलता गेट, जयपुर 302003
मो. 9829011303

संलग्न
1) ADJ-6 में विचाराधीन केस के कागजात

Recd
27-3-23

संतोष कुमार सैनी के इस प्रार्थना पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर द्वारा दिनांक 28/03/2023 को इस प्रकरण की जांच हेतु उसी आबकारी निरीक्षक(वृत जयपुर शहर पूर्व) को भेज दी जाती है,जिसके द्वारा इस विवादित भूखंड पर शराब की दुकान लगाने की अनुशंसा की जानी थी|जब बिल्ली को ही छींके की रखवाली सौंप दी जाती है तो जो हाल छींके का होता है,वही हाल इस प्रकरण मे भी हुआ,सूत्रों के अनुसार संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा इस प्रकरण मे अपने आला अधिकारी को जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा और मामले को ठंडे बस्ते मे डाल कर दिनांक 05/04/2023 को इसी आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर इन्ही जिला आबकारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रतीक चौधरी को लाईसेंस हेतु शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गई|

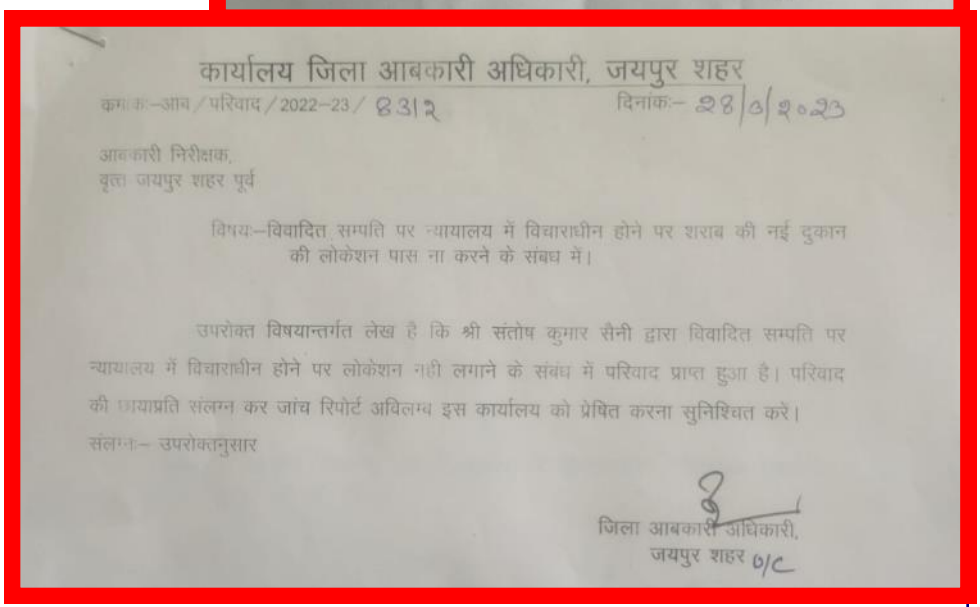

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर
क्रमांकः–आब/परिवाद/2022–23/ 8312 दिनांकः– 28/3/2023

आबकारी निरीक्षक,
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

विषयः–विवादित सम्पति पर न्यायालय में विचाराधीन होने पर शराब की नई दुकान की लोकेशन पास ना करने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री संतोष कुमार सैनी द्वारा विवादित सम्पति पर न्यायालय में विचाराधीन होने पर लोकेशन नही लगाने के संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ है। परिवाद की छायाप्रति संलग्न कर जांच रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर O/C

आबकारी अधिकारियों की मनमानी के चलते दिनांक 13/04/2023 को पुनः संतोष कुमार सैनी द्वारा आबकारी आयुक्त,अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर को लिखित मे पुनः शिकायत देकर बताया गया कि जिस संपत्ति को राजकुमार मल्होत्रा द्वारा अपना बताया जा रहा है वह उसके नाम नहीं होकर परिवादी संतोष सैनी के नाम है,अपने पक्ष की पुष्टि करने हेतु उनके द्वारा एक रजिस्ट्री की प्रति भी लगाई गई जिसमे उक्त भूखंड का स्वामित्व परिवादी संतोष कुमार सैनी के नाम होना बताया गया|लेकिन पूरा मामला कांच की तरह साफ होने के बावजूद जिम्मेदार आबकारी अधिकारी " जिसकी लाठी उसकी भैंस" मुहावरे को चरितार्थ करते हुए,कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है|

भूखंड संख्या बी-213 मे मकान को तोड़कर बनाई गई दुकाने,जिन्हे तोड़ने का प्रकरण संबंधित जोन मे लंबित है|

आदर्श नगर निगम जोन क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माणों व सरकारी भूमी पर अतिक्रमणो पर शीघ्र ही की जायेगी कार्रवाई -उपायुक्त रामकिशोर मीणा

आवासीय भूखंड संख्या बी-213,लक्ष्मीनारायणपुरी के मालिकाना हक को लेकर दो विवाद चल रहे स्थानीय न्यायालयों मे!! न्यायालयों मे प्रस्तुत वादों के अनुसार विवादित जमीन पर तीन पार्टिया जता रही अपना हक!!

इस पूरे प्रकरण मे तीन पार्टियां सामने आ रही है जो इस विवादित जमीन पर अपना-अपना हक जता रही है और इन तीनों पार्टियों मे इस विवादित जमीन को लेकर दो वाद स्थानीय न्यायालयों मे लंबित है|पहले मामले मे सतीश गुप्ता और सत्यनारायण गुप्ता द्वारा संतोष कुमार सैनी के विरुद्ध ADJ-3 मे वाद दायर कर रखा है अपने वाद मे गुप्ता बंधुओ उनके द्वारा बताया गया है,उनके द्वारा वर्ष 2016 मे ही उक्त भूखंड की रजिस्ट्री संतोष कुमार सैनी के नाम करवा दी थी|लेकिन तय रजिस्ट्री के अनुसार संतोष कुमार द्वारा रजिस्ट्री मे वर्णित चैकों का भुगतान नहीं किया गया है,वही इस मामले मे संतोष कुमार की दलीलों के अनुसार उनके द्वारा पूरे पैसों का भुगतान कर दिया गया है,गुप्ता बंधुओ की नियत मे खोट के चलते झूठा वाद दाखिल किया गया है|इस मामले मे अंतरिम आदेश जारी करते हुए न्यायालय द्वारा संतोष कुमार सैनी के पक्ष मे यथास्थिति के आदेश जारी किए गए है|

Number of Case ... Year ...

... Versus ...

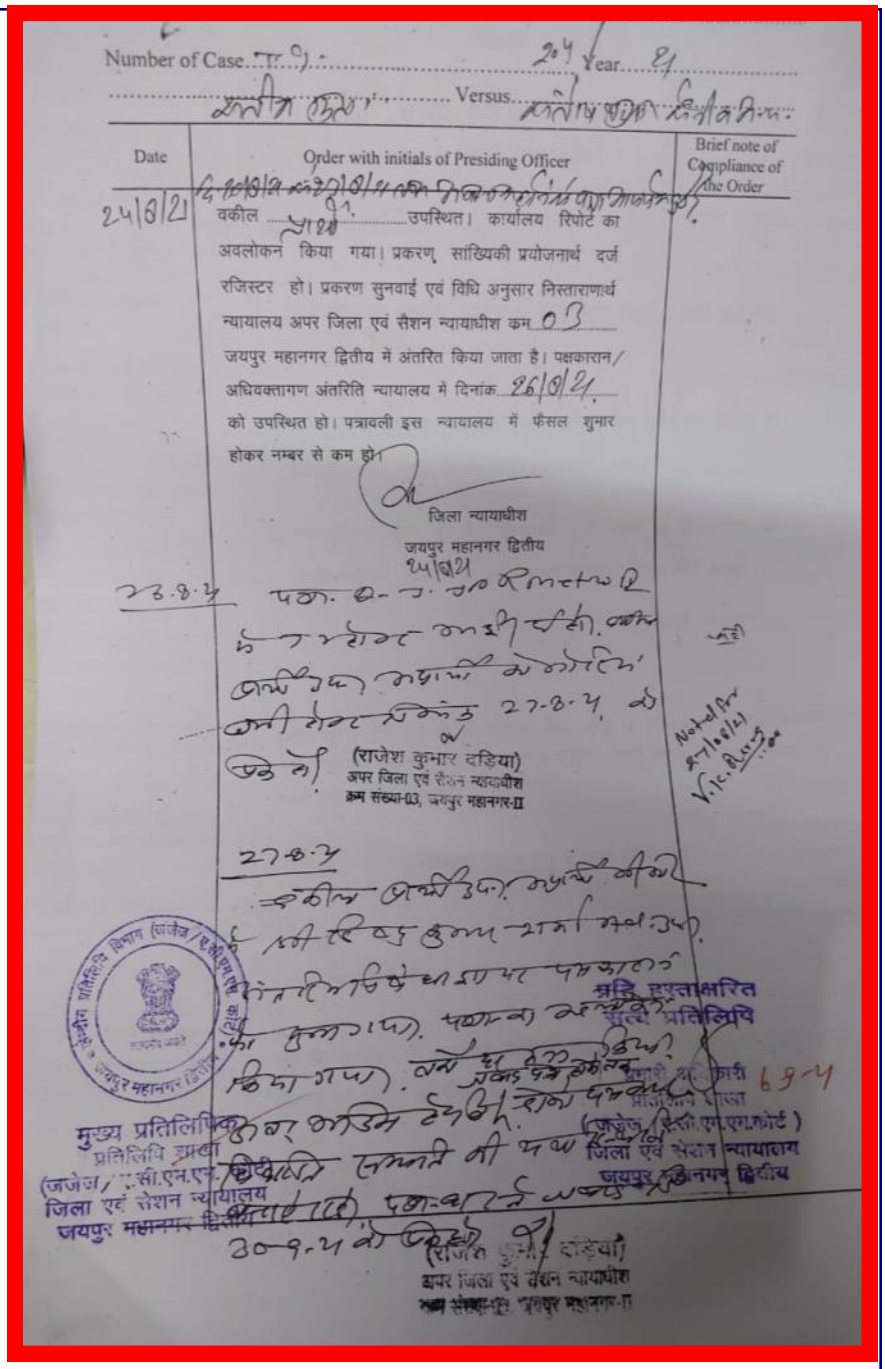

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
24/8/21	वकील ... उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण सांख्यिकी प्रयोजनार्थ दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण सुनवाई एवं विधि अनुसार निस्तारणार्थ न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम 03 जयपुर महानगर द्वितीय में अंतरित किया जाता है। पक्षकारान/अधिवक्तागण अंतरिति न्यायालय में दिनांक 26/8/21 को उपस्थित हो। पत्रावली इस न्यायालय में फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय 24/8/21	
23.8.21	(राजेश कुमार दड़िया) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या-03, जयपुर महानगर-II	
27.8.21	(राजेश कुमार दड़िया) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या-03, जयपुर महानगर-II	

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
(जजेज/सी.एम.एम. कोर्ट)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

प्रति हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
(जजेज/सी.एम.एम.कोर्ट)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

दूसरे मामला संतोष कुमार सैनी और राजकुमार मल्होत्रा के मध्य ADJ-6 मे लंबित है जिसमे संतोष कुमार सैनी द्वारा बताया गया है कि राजकुमार मल्होत्रा द्वारा दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामे दिनांक 06/06/2021 के अनुसार तय समय मे पूरा भुगतान नहीं किया गया है जिसके चलते इकरारनामे की शर्तों के अनुसार निष्पादित इकरारनामा निरस्त माना जाए|यह प्रकरण भी वर्तमान मे संबंधित न्यायालय मे लंबित है|

मौके पर यथास्थिति के आदेश!!लेकिन इसके बावजूद स्टेशुदा जमीन पर एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए,आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई शराब की दुकान!!

इस पूरे प्रकरण मे दो सालों से दोनों मामले दो न्यायालयों मे लंबित है और यथास्थिति के आदेश चलते आ रहे है,लेकिन आबकारी विभाग द्वारा एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए,दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गई|यदि यह माना जाए कि संबंधित लाईसेंसी द्वारा ईमानदार आबकारी अधिकारियों को अंधेरे मे रख यह सारा कांड करवा दिया गया हो तो यह बात सिरे से गले नहीं उतरती क्यूंकि परिवादी संतोष कुमार सैनी द्वारा समय रहते ईमानदार और जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया था|इतना ही नहीं जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों के वाट्सअप नंबरों पर भी प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण तथ्य मौजूद है|ऐसे मे जिम्मेदार अधिकारियों की नियत और ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है|इसी के साथ यह भी तय है कि आबकारी विभाग मे इंस्पेक्टरराज चरम सीमा पर है|चाहे कोर्ट का आदेश हो या फिर मुख्यमंत्री,वित्त विभाग,आयुक्तालय से आया कोई आदेश,परिवाद या फिर कोई चिट्ठी,इन सभी का जवाब/जांच नीचे पायदान पर बैठा आबकारी निरीक्षक ही देता है या फिर उसे गोलमोल कर देता है|

एक शराब ठेकेदार विशेष पर जिला आबकारी विभाग की विशेष कृपा के चलते,खेला गया यह खेल!!

आपको बता दें कि एक शराब ठेकेदार विशेष पर जिले के आबकारी अधिकारियों की नजरे इनायत है,जिसके चलते ही स्टेशुदा जमीन पर,कोर्ट के आदेशों की अवमानना बावजूद शराब की दुकान स्वीकृत करने का यह पूरा खेल खेला गया है|इस शराब ठेकेदार को उपकृत करने का यह किस्सा कोई नया नहीं है|इससे पहले भी इस ठेकेदार विशेष को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए,जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है|

इस शराब ठेकेदार विशेष के परिजन के नाम इसी आबकारी वृत पूर्व मे दो साल पहले दुकान संचालित की जा रही थी,जिसके बकाया 52 लाख रुपये बाकी थे|इस शराब ठेकेदार विशेष पर कृपा के चलते,इतनी बड़ी रकम की इन दो सालों मे आबकारी विभाग वसूली नहीं कर पाया है,सूत्रों के अनुसार महज 2-5 लाख रुपये देकर,मामले को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया है|इसी शराब ठेकेदार विशेष के एक अन्य नजदीकी रिश्तेदार के नाम देवस्थान विभाग मे पंजीकृत एक एतिहासिक मंदिर के 200 मीटर के दायरे मे एक दुकान संचलित कर रखी है,जिसे तमाम विरोधों और शिकायतों के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है|सूत्रों का कहना है कि जिले के एक मंजले और छोटे साहब की विशेष कृपा के चलते ही इस शराब ठेकेदार विशेष का पूरा ख्याल रखा जा रहा है|मंजले साहब को तो इस शराब ठेकेदार विशेष को बचाने के लिए एक जांच एजेंसी मे इस शराब ठेकेदार विशेष की पैरवी करते हुए भी कुछ तमाशबीनों द्वारा देखा गया है|हालांकि इन साहब का जयपुर से मोह भंग हो चुका है और दूर दराज के जिले मे अपनी पोस्टिंग करवाने की जुगाड़ मे मंदिर-देवरे धोक लगाते हुए नजर आ रहे है|

कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी कौन?

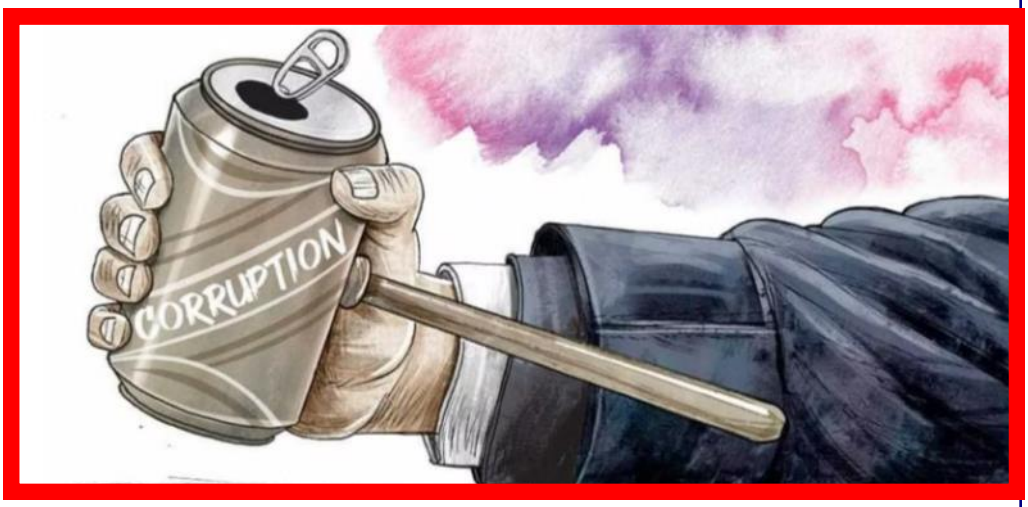

इस पूरे मामले मे यह तो तय है कि संबंधित आबकारी अधिकारियों द्वारा जानते-बुझते जिंदा मक्खी निगली गई है और शराब ठेकेदार विशेष को लाभ पहुचाने की नियत से माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई है|इस मामले मे परिवादी द्वारा भी आबकारी विभाग को कानून के कटघरे मे खड़ा करने की तैयारी की जा रही है|पूर्व मे भी जयपुर की एक आबकारी निरीक्षक को स्टेशुदा जमीन पर दुकान लगाने की अनुशंसा के चलते बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है,देखना यह है कि कोर्ट,सरकार और विभाग के आला अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद इस प्रकरण मे किन किन दोषी अधिकारियों पर गाज गिरती है|